राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 710वीं बैठक दिनांक 05/01/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :—

- 1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
- 3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
- 4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
- 5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
- 6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No 9645/2023 Shri Sanjay Dixit, Dean, M.G.M. Government Medical College, Super Speciality Hospital, A-H, Deendayal Upadhyay Nagar, Sukhiya, Vijay Nagar, Indore (MP)-452010, Prior Environment Clearance for Construction of 402 bedded Super Speciality Hospital/MGM Govt. Medical College at Khasra No. 06 Village-Residency Area, Tehsil-Indore, District-Indore, (MP).

This is case of Prior Environment Clearance for Construction of 402 bedded Super Speciality Hospital/MGM Govt. Medical College at Khasra No. 06 Village-Residency Area, Tehsil-Indore, District-Indore, (MP). Due to violation project hence violation TOR was recommended by the committee in the SEAC in 624th SEAC Meeting dated 26/02/2023.

The salient features which were submitted by PP on Parivesh Portal are given below:-

SN	Information Required	Details	
1.	Project	SIA/MP/INFRA2/414799/2023.	
		Violation Case.	
2.	Project Name/details	Shri Sanjay Dixit, Dean, M.G.M. Government Medical College, Super	
		Speciality Hospital, A-H, Deendayal Upadhyay Nagar, Sukhiya, Vijay Nagar,	
		Indore (MP)-452010, Prior Environment Clearance for Construction of 402	
		bedded Super Speciality Hospital/MGM Govt. Medical College at Khasra No.	
		06 Village-Residency Area, Tehsil-Indore, District-Indore, (MP) [414799]	
		Cat. 8(a)Building Construction Projects.	

3.	Total land area	13354.60 m2	
4.	Total Builtup Area	32342 m2	
5.	Declaration	Violation Case.	
6.	Project Cost	23700 Lakhs.	
7.	Prpposed ToR (Violation)	Submitted (Page 1-6)	
8.	ToR Status (Violation).	ToR Recommended in 624 th SEAC Meeting dated 26/02/2023.	
9.	Land Allotment details	IDA letter No. 8069 date 29/12/2017.	
10.	Water requirement	Total Water Requirement - 201 KLD. Fresh Water Requirement - 130KLD. Recycled Water Requirement - 157 KLD.	
11.	Water NOC	Aggrement Copy attached (Date 10/10/2020).	
12.	Fire NOC	PP Apply Fire NOC letter No. 3552 dat. 10/02/2020.	
13.	Total Required Parking	Total Required Parking = 201+21 = 221 ECS	
14.	Risc Assesment	Submitted.	
15.	Proposed Power Backup 5 × 1010 KVA	Proposed Power Backup 5 × 1010 KVA	
16.	Rainwater harvesting details	Recharge Pits - 5 No., Total recharge capacity:m ³ /hr	
17.	EMP/ Env. Con	Shri Pradeep Chandana, ENVISOLVE LLP, INDORE(M.P.). to 19/08/2024.	Valid up
18.	CTE	4283 Consent 25/09/2021 Valid up to 31/08/2026 (Copy attached)	
19.	Any other important issue	Rejection Order No. PCB/IND/CCA/115512-14/05/2022.	
20.	Remediation cost (If any)	NA	

प्रकरण का परीक्षण में अवलोकित अन्य बिन्दु

- कुल 43 पौधे का वृक्षारोपण अस्पताल के परिसर में किया जा चुका है।
- कन्सेन्ट टू इश्टेब्लिसड इनको २०२१ में मिल गया था।
- कुल उर्जा की खपत 3000 कि.वा. है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा 192 कि.वा. का सोलर प्लांट लगाने का प्रसताव दिया है।
- 10 पेड जो गुगल पर दिख रहे है, नगर निगम की अनुमित से काटा गया अनुमित प्रस्तुत किया जाये।

परीक्षण के उपरांत समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया :-

 रेमीडेशन के अंतर्गत बिल्डंग निमार्ण कार्य से कितना कर्बन फूट प्रिन्ट उत्पन्न हुआ एवं इसके मैनेजमेंन्ट के लिये किये गये उपाय।

- 2. गूगल ईमेज के अनुसार 10 पेड कटे हुये हैं (गुगल 2017 के ईमेज के अनुसार) अतः वृक्षारोपण प्रस्ताव में 100 अतिरिक्त वृक्ष 1.5मी. से 2.0 मी साईज के लगारेंगे ।
- 3. इनके कटने से इकलोजिकल डेमेज क्या हुआ है की जानकारी प्रस्तुत करें तथा उपाय प्रस्तावित करे।
- 4. प्रोजेक्ट एरिया में जो पेड काटे गये उसका 10 प्रतिशत अतिरिक्त लगाने का प्रस्ताव दें।
- 5. प्रस्तावित लगाये जाने वाले पौधो को प्रोजेक्ट एरिया में लोकेशन को दर्शातें हुये ले-आउट मेप में प्रस्तुत करें।
- 6. कन्स्ट्रक्शन कार्य पूर्ण हो गया है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
- 7. कन्स्ट्रक्शन कार्य के दौरान पर्यावरण क्षति (Damage) की सूची प्रस्तुत करें।
- 8. रेमेडियशन के अंतर्गत किये गये कार्यो सूची प्रस्तुत करें।
- 9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 192 कि.वा. सौर ऊर्जा का प्रस्तावित किया है एवं कुल ऊर्जा खपत का 30 प्रतिशत ऊर्जा की पूर्ति सौर ऊर्जा के माध्यम से की जानी है अतः शेष सौर ऊर्जा का अतिरिक्त प्रस्ताव 03 वर्षो में करने के लिये देवें एवं ई.एम.पी में समुचित बजट का प्रावधान दे ।
- 10. संशोधित इकलोजिकल डेमेज मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत करें।
- 11. सिमिति द्वारा सुझार्ये गये सी.ई.आर योजना प्रस्तुत करें।
- 2. <u>Case No 10816/2023 Shri Navin Patwa, Company Secretary, M/s SAM Industries Limited, Village, Dakachiya, AB Road, Tehsil: Sanwer, District-Indore (MP)-453771, Prior Environment Clearance for Proposed Construction of Commercial Warehouse "Shivaay LogiSpace" in an area of 10.009 ha. (42441.58 sq.m.) (Khasra No. 255/1/1, 255/1/2, 255/1/3, 255/1/4, 255/1/5, 255/3, 255/4/1, 255/4/2, 255/4/3, 255/4/4, 255/4/5, 255/5/1, 255/5/2, 255/6/1, 255/6/2, 255/7/1, 255/7/2, 255/8/1, 255/8/2, 259/1/11, 259/1/2, 259/2/1, 259/2/2, 259/3/1, 259/3/2, 259/4/1, 259/4/2, 259/5, 258/1/2k, 258/2/1, 258/1/1, 258/1/2/1, 258/2/1/kh/258/1/2/2, 258/2/2), Village-Dakachya, Tehsil-Sawer, District-Indore (M.P.). Cat. 8(a) Building Constructon Project.</u>

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Construction of Commercial Warehouse "Shivaay LogiSpace" in an area of 10.009 ha. (42441.58 sq.m.) (Khasra No. 255/1/1, 255/1/2, 255/1/3, 255/1/4, 255/1/5, 255/3, 255/4/1, 255/4/2, 255/4/3, 255/4/4, 255/4/5, 255/5/1, 255/5/2, 255/6/1, 255/6/2, 255/7/1, 255/7/2, 255/8/1, 255/8/2, 259/1/1, 259/1/2, 259/2/1, 259/2/2, 259/3/1, 259/3/2, 259/4/1, 259/4/2, 259/5, 258/1/2k, 258/2/1, 258/1/1, 258/1/2/1, 258/1/2/1, 258/2/1/kh/258/1/2/2, 258/2/2), Village-Dakachya, Tehsil-Sawer, District-Indore (M.P.). The proposed project is falling under Project /Activity 8(a), Building and Construction Projects, Category B-2 (built-up area >/= 20000 m² and < 150000 m²) and requires Environmental Clearance (EC) from SEAC/SEIAA, M.P.

The case was presented by Env Consultant Mr Shubham Dubey M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P. and PP Shri Naveen Patwa, Company Secretary from M/s SAM Industries Limited.

PP submitted following details on Parivesh Portal:

SN	Information Required	Details	
1.	Project	SIA/MP/INFRA2/450903/2023.	
2.	Project Name	Shri Navin Patwa, Company Secretary, M/s SAM Industries Limited, Village, Dakachiya, AB Road, Tehsil: Sanwer, District-Indore (MP)-453771, Prior Environment Clearance for Proposed Construction of Commercial Warehouse "Shivaay LogiSpace" in an area of 10.009 ha. (42441.58 sq.m.) (Khasra No. 255/1/1, 255/1/2, 255/1/3, 255/1/4, 255/1/5, 255/3, 255/4/1, 255/4/2, 255/4/3, 255/4/4, 255/4/5, 255/5/1, 255/5/2, 255/6/1, 255/6/2, 255/7/1, 255/7/2, 255/8/1, 255/8/2, 259/1/1, 259/1/2, 259/2/1, 259/2/2, 259/3/1, 259/3/2, 259/4/1, 259/4/2, 259/5, 258/1/2k, 258/2/1, 258/1/1, 258/1/2/1, 258/2/1/kh/258/1/2/2, 258/2/2), Village-Dakachya, Tehsil-Sawer, District-Indore (M.P.). [450903]. Cat. 8(a) Building Constructon Project.	
3.	Area details as per Form -1	Total Plot Area: 54689 m2. Total Built up Area – 42441 m2. Greenbelt area (10%)– 8910 m2. Parking area – 4728 m2	
4.	Project Proposal	Open Parking- 189 ECS.	
	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	New.	
5.	CGWA NOC	CGWA/NOC/INF/ORIG/2023/19524 Date of Issuence 06/11/2023.	
6.	Project Cost	4365 Lakhs.	
7.	Undertaking No Construction start at site	PP Submit undertaking affidavit dated 27/10/2023.	
8.	Lat./Log. As per Form -1	Latitude Longitude 22°51'23.13"N 75°57'0.73"E 22°51'23.37"N 75°57'5.41"E 22°51'20.34"N 75°57'13.52"E 22°51'11.88"N 75°57'7.51"E 22°51'12.64"N 75°56'58.73"E 22°51'17.23"N 75°56'57.89"E	
9.	NBWL Application	No	
10.	Gram Panchyat NOC	Village – Dakachiya, Tehsil _ Sanwer, Distt-Indore letter no. 663 dated 17/08/2023.	
11.	Building Permission	-	
12.	T& CP Permission	Letter 6400 dated 08/11/2019. Copy aploaded on Parivesh Portal.	
13.	Extra Treated Water	PP Affidavit submitted dated 07/11/2023. PP Apply Letter dated 27/10/2023. (Copy aploaded on Parivesh	

		Portal).
14.	MSW NOC	PP Apply Letter dated 27/10/2023. (Copy aploaded on Parivesh
		Portal).
15.	DG set details	DG Set of 1x400 KVA & 320x4 KVA each.
16.	Parking details	189 ECS.
17.	Env. Consultant	Shri Pradeep Chandan & Shri Shubham Dubey,
		M/s Envisolve LLP, Indore (M.P.). Valid up to 19/08/2024.

During presentation PP submitted that this is a warehouse project / Logistic park project. On Google image some sheds are existing within project area PP submitted that these sheds are proposed for demolition hence committee asked PP to furnished C& D details . moreover , some trees are exist in the project area, committee suggested that **PP shall considered project feasibility and proposed minimum tree felling, existed within project area.**

After presentation PP was asked to submit following information of the project for further consideration of the project:

- Carbon emission foot print analysis shall be submitted with quantification from different sources and their management plan.
- Submit C& D details of demolition of the sheds.
- Tree inventory of the project area with status of conservation..
- Considered project feasibility and proposed minimum tree felling, existed within project area.
- Show lay out map on the Goggle earth.
- Parking space shall be depicted on colour lay out map.
- PP's **commitment** that the BOD level shall be maintained upto 3.0 mg/l in the proposed STP, proposal for filter press.
- Proposed Green belt area shall be shall be depicted on colour lay out map
- Revised CER, which shall be need based as suggested by the committee.
- Ecological damage assessment wrt to the proposed tree felling.
- Basis of Cold storage means which gas shall be used .
- PP shall submit PFR.

3. <u>Case No 10828/2023 Shri Vinay Solanki, Director, M/s Samrddhi Civicon Private Ltd, 15/2, Old Palasia, Near Laskhya Regency Building, District-Indore (MP)-452001, Prior Environment Clearance for Proposed Construction of Commercial Project "Laabham Highlights" in an area of 0.9085 ha. (62462.40 sq.m.) (Khasra No.), Village-Barawagrada, Tehsil-Hatod, District-Indore (MP).</u>

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Proposed Construction of Commercial Project "Laabham Highlights" in an area of 0.9085 ha. (62462.40 sq.m.) (Khasra No.), Village-Barawagrada, Tehsil-Hatod, District-Indore (MP). The proposed project is falling under Project /Activity 8(a), Building and Construction Projects, Category B-2 (built-up area >/= 20000 m2 and < 150000 m2) and requires Environmental Clearance (EC) from SEAC/SEIAA, M.P.

The case was presented by Env Consultant Mr Shubham Dubey M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P. and PP Shri Vinay Solanki, from M/s Samrddhi Civicon Private Ltd,.

The salient features which were submitted by PP on Parivesh Portal are given below:-

- M/s Samrddhi Civicon Private Ltd is proposing the Construction of commercial project "*Laabham Highlights*", at Plot No B-11, Sector B, IDA Scheme no. 151, Super Corridor Indore, Madhya Pradesh.
- The total built-up area of the project is 62462.40 m².
- The proposed project is falling under Project /Activity 8(a), Building and Construction Projects, Category B (built-up area >/= 20000 m² and < 150000 m²) and requires Environmental Clearance (EC) from SEAC/SEIAA, Madhya Pradesh.

S. No.	Particulars	Proposed Quantity/Area
1.	Total Built-up Area	62462.40 m ² . ²
2.	Permissible Ground Coverage @ 30%	3118.698 sq.mt.
	Proposed Ground Coverage @ 29.28%	3035.532 sq.mt.
3.	Total No. of offices	183 Nos.
4.	Total No. of Showroom	184 Nos.
5.	Total No. of Restaurant	04 Nos

6.	Total No. of Cafe	06 Nos
7.	Green cover area	1295 sq.mt. (12.45%)
8.		Required as per norms: 415 ECS Total Proposed Parking: 716 ECS Basement Parking = 716 ECS

After presentation PP was asked to submit following information of the project for further consideration of the project:

- Tree inventory with species, height and girth details with felling status.
- IDA's high rise building permission.
- Provision of Public Facilities (Toilets for men & women separately) in appropriate numbers to the house hold workerts and visitors.
- Floor wise details of activity (restaurant, caffe house, toilets etc).
- Suitability study w.r.t. aquifer recharge.
- Fly ash bricks utilization for building construction.
- Revised plantation species and no. as suggested by the committee.
- Revised CER include proposal at PHC and aganwadi (in the forest village-Nahar-jahbua and Bhadatya) as suggested by the committee.
- Carbon foot print and remediation thereof.
- 4. Case No 10642/2023 Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Gurira Sand Mine in an area of 4.00 ha. (43200 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Gurira, Tehsil-Mihona, District-Bhind (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 20/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, श्री.संजय धाकड़ माइनिंग सर्वेयर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, ऑनलाईन एवं सुश्री स्वाति नामदेव, कार्डिनेटर कियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक,	Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining		
परियोजना / कम्पनी	Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Gurira		
/ संस्थान का नाम व पता	Sand Mine in an area of 4.00 ha. (43,200 cum per year) (Khasra No. 01),		
	Village-Gurira, Tehsil-Mihona, District-Bhind (MP) [431118].		
परियोजना का खसरा नं.	01, ग्राम — गुरीरा, 4.00 हेक्टेयर शासकीय		
/ लीज	तहसील – मिहोना,		
	जिला — भिण्ड (म.प्र)		
परियोजना की	बी—2 श्रेणी,		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान सिंध नदी में स्थित है,		
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नहीं।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत — 43,200 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन		
	किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत — 43,200		
	घनमीटर / वर्ष हेतु स्वीकृत है।		
LOI details.	एल.ओ.आई पत्र क0. दिनांक 31/05/2023 द्वारा जारी किया गया		
	हैं।		
परियोजना के 500 मीटर की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड के एकल प्रमाण-पत्र		
परिधि में संचालित	क्रमांक 1628 दिनांक 15/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में		
/स्वीकृत अन्य खदानों का	अन्य कोई खदानें संचालित / स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल		
विवरण	रकबा 3.220 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. — 2 श्रेणी के अंतर्गत आता		
	है।		
परियोजना के संबंध में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड के एकल प्रमाण-पत्र		
डीएफओ की एनओसी	क्रमांक 1628 दिनांक 15/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की		
	परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता		
	एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
परियोजना के संबंध राजस्व	·		
जानकारी	कमांक 1628 दिनांक 15/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में		
	मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, रास्ता / नाला इत्यादि		
	स्थित नहीं है।		
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत पर्रायच जिला — भिण्ड ूके ठहराव प्रस्ताव कमांक 03		
की अनुमति	दिनांक 12/03/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से		
	ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की		
रिथति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्ज है।		

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि गूगल इमेज के आधार पर 200 मीटर लम्बा मेजर रोड ब्रिज है। Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01 कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोड़ने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि इसी खदान को पूर्व में सिया **के** प्रकरण क. 7618 / 2020 दिनांक 19 / 10 / 2020 से पूर्व पर्यावरण अनुमति मात्रा प्रतिवर्ष 19320 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत की जारी की गईं थी।

परियोजना प्रस्तावक / माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन् कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग / जलसंसाधन विभाग / पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जावेगा । परियोजना प्रस्तावक / माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक / माईनिंग अधिकारी द्वारा अभिमत प्राप्त कर सेक समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है, जिसे आज दिनांक 05/01/2024 को समिति के समक्ष रखा गया जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री नायक, अधिकृत प्रतिनिधि एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री स्वाति नामदेव, कार्डिनेटर क्रियेटिव इंवारो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) द्वारा प्रस्तुत किया गया।

समिति ने परीक्षण दोरान पाया कि कार्यालय, कार्यपालन यंत्री के लोक निमार्ण सेतु विभाग का पत्र कमांक 3586 दिनांक 30 / 10 / 2023 पत्र में पुल के संबंध में उल्लेख किया गया है पुल के दोनों और डाउन स्ट्रीम एवं अप स्ट्रीम में 500—500 मी. की दूरी पर कोई खनन कार्य न किया जायें।

सिमित ने पाया कि गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र में रेत की उपलब्धता कम प्रतीत होती है अतः पूर्व में सिया के प्रकरण क. 7618/2020 दिनांक 19/10/2020 से पूर्व पर्यावरण अनुमित मात्रा प्रतिवर्ष 19320 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत की जारी की गई थी अतः पूर्व में जारी हुई ईसी के अनुसार रेत की अधिकतम मात्रा 19,320 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्ती एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—19,320 घनमीटर / वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- 1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.90 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 01.13 लाख प्रति वर्ष ।
- 2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
सी.ई.आर मद से 50,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम गुरीरा के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	50,000

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 4000 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	300
2	ग्राम— गुरीरा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	3700

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन समिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- 🗸 एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े—तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में /ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। परियोजना

प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

5. <u>Case No 10644/2023 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), P.K. Dhabai, near Kali mandir, Narmadapuram (M.P.) Prior Environment Clearance for Bakud Sand Mine in an area of 0.50 ha. (3600 cum per year) (Khasra No. 35), Village-Bakud, Tehsil-Ghoda Dongri, District-Betul (MP)</u>

परियोजना प्रस्तावक Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager, श्री वीरेन्द्र विशष्ट खनिज निरीक्षक, जिला बैतूल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार/अधिकृत प्रतिनिधी श्री रूद्र प्रताप सिंह मेसर्स ईको कंसटेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 20/10/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला बैतूल के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ट कमांक 36 एवं सरल कमांक 69 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान बकुड़ नदी पर ग्राम Bakud के निकट 0.50 हे. क्षेत्रफल पर 3600 घनमीटर / वर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी—2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि गूगल इमेज के आधार पर 134 मीटर लम्बा मेजर रोड ब्रिज है। Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01 कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोड़ने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि इसी खदान को पूर्व में सिया **के** प्रकरण क. 6822 / 2020 दिनांक 25 / 02 / 2020 से पूर्व पर्यावरण अनुमित मात्रा प्रतिवर्ष 21875 घनमीटर प्रतिवर्ष (2.70 हे.) रेत की जारी की गई थी।

परियोजना प्रस्तावक / माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन् कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग / जलसंसाधन विभाग / पी.डब्ल्यू डी विभाग) से अभिमत प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जावेगा । परियोजना प्रस्तावक / माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक / माईनिंग अधिकारी द्वारा अभिमत प्राप्त कर सेक समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है, जिसे आज दिनांक 05/01/2024 को समिति के समक्ष रखा गया जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अनिल खण्डेलवाल, अधिकृत प्रतिनिधि एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार/अधिकृत प्रतिनिधी श्री रूद्र प्रताप सिंह मेसर्स ईको कंसटेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. द्वारा प्रस्तुत किया गया।

सिमिति ने परीक्षण दोरान पाया कि कार्यालय परियोजना महाप्रबंधक म.प्र.ग्रा.रा.वि. प्राधिकारण का पत्र कमांक 2187 दिनांक 03/11/2023 खदान में स्थित रोड ब्रिज के संबंध में उल्लेख किया गया है कि पाथाखेडा से बाकुड मार्ग में BOX Culvert एवं बाकुड से दुल्हारा, मार्ग में पूल निर्मित है। उक्त स्वीकृत रेत खदान से रेत खनन किये जाने से विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। समिति ने पाया कि महाप्रबंधक म.प्र.ग्रा.रा.वि. प्राधिकारण द्वारा कोई भी दूरी का उल्लेख न करते हुये अनापत्ति दी है, अतः समिति का निर्णय है कि सेंड गाईड माईनिंग रूल के अनुसार दूरी छोडते हुये प्रकरण की अनुशंसा की जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्ती एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—3600 घनमीटर / वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि क्त. 02.37 लाख एवं रिकृरिंग राशि क्त. 01.71 लाख प्रति वर्ष ।
- 2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 5000 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	5,000/-

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 600 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
	स्थान		

1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	
2	ग्राम बाकुड के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	200

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन समिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- √ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े—तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में /ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति / कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।
- 6. Case No 10821/2023 Shri Gayaprasad Anjne, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Antariya River Sand Mine in an area of 4.00 ha. (72000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Atariya, Tehsil-Chandia, District-Umaria (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 05/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Gayaprasad Anjne, Jr. Manager, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

	~ \
THUSHICE TAROUT	पारमान्या परवायक राम परवायव रहतायव
परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज

परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता परियोजना का खसरा नं. / एरिया	Shri Gayaprasad Anjne, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Antariya River Sand Mine in an area of 4.00 ha. (72,000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Atariya, Tehsil-Chandia, District-Umaria (MP) [435231]. खसरा न0.— 01, एरिया — 4.00 हे.		
परियोजना स्थल	ग्राम— अटारिया, तह.—चंदिया, जिला—उमरिया (म.प्र.).		
परियोजना श्रेणी	बी–2 श्रेणी,		
सैद्वांतिक सहमति	पत्र क0. 756 दिनांक 26/05/2023.		
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान उमरार नदी में स्थित है।		
का नाम	<u> </u>		
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नही।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत — 72,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत — 72,000 घनमीटर / वर्ष हेतु स्वीकृत है।		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला — उमरिया के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 994 दिनांक 21/04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.00 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. — 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कुमांक 994 दिनांक 21/04/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 994 दिनांक 21/04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है। मानव बसाहट— 250 मी. तथा शैक्षणिक संस्थान—450 मी. की दूरी पर स्थित है।		
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत पतरेई जिला उमरिया के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 25 / 08 / 2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. — 12 के सरल क्रमांक — 17 पर दर्ज है।		

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 08 को—आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन् क्षेत्र की वास्तविक आकृति नहीं बन रही है, अतः

लीज क्षेत्र के अतिरिक्त अक्षांश—देशांश एकत्रित (रिकार्ड) कर प्रस्तुत करने के लिये समय की मांग की गई। समिति ने विचारोपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु एडीएस जारी किया जावे।

7. Case No 10579/2023 Shri Sheela Patle, Proprietor, M/s Narmada Mining Corporation, Harka Niwas, Narmada Colony, Dada Dhaniram Ward, Aangan Tiraha, Maharajpur, District-Mandla (MP)-481665, Prior Environment Clearance for Katamal Dolomite Quarry in an area of 4.54 ha. (97200 TPA) (Khasra No. 549 ,550 ,551 ,552, 553, 554, 556), Village-Kata Mal., Tehsil-Bichhiya, District-Mandla (MP) (DEIAA to SEIAA)

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 691वीं बैठक दिनांक 18/10/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। यह प्रकरण डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के री—एपराईजल हेतु प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा दिया गया प्रस्तुतीकरण पूर्ण नहीं पाया गया। अतः समिति द्वारा पुनः निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये।

- 1. Copy of Form-I
- 2. Land status/P2:
- 3. Area & Location with Khasra no:
- 4. Current Ekal Praman Patra
- 5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
- 6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
- 7. OB Dump and waste management with facts and figures:
- 8. Top soil management with soil profile:
- 9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
- 10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
- 11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
- 12. Water requirement (KLD):
- 13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
- 14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
- 15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
- 16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list: name of villager's, mobile number, number of plants name of village.

- Verifiable proof of CER
- 17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
- 18. Carbon footprint.
- 19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures

- 2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.
- 3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 05/01/14 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री शीला एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

प्रस्तुतीकरण के दोरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण लीज अंतरण का है, पुरानी ई.सी. की शर्तो का पालन के संबंध में निम्न जानकारी प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया —

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	70 प्रतिशत फेन्सिंग कार्य हुआ है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बेरियर जोन में 150 पेड लगाये गये है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	गारलैण्ड टेंक नहीं बना है।
पौधारोपण की स्थिति	पी.पी ने बताया कि लगभग पौधे लगाये है एवं 150 पौधे वितरित किये है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोविड के समय सेनेटाईजर वितरण का कार्य किया गया

परीक्षण के उपरांत समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतू निर्देशित किया :--

- 1. पुराने पिट दर्शातें हुये एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर क्रशर लगा हुआ है, अतः उसे अन्यत्र शिफ्ट करते हुये लोकेशन पुर्नरक्षित सरफेस मेप में प्रस्तुत करें।
- 2. ग्राम सभा की वर्तमान एनओसी प्रस्तुत करें।

8. <u>Case No 10819/2023 Shri Arvind Shukla, Lessee, R/o Pansemal, District-Barwani (MP)-451770, Prior Environment Clearance for Baljhiri Stone Quarry in an area of 0.933 ha. (3880 cum per year) (Khasra No. 165/3, 165/4), Village-Baljhiri, Tehsil-Pansemal, District-Barwani (MP)</u>

प्रस्तावित स्टोन खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 05/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Arvind Shukla, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

non-ra dana	ייייי אייייי אייייי אייייי איייייי איייייי		
परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक	Shri ARVIND SHUKLA, Lessee, R/o-Pansemal Barwani, District- Barwani		
का नाम व पता	(M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल	165/3, 165/4 (निजी—नॉन फॉरेस्ट लेंड 0.933 hectare.		
(सरकारी / निजी)	परियोजना प्रस्तावक स्वयं की)		
स्थल	Village Baljhiri, Tehsil Pansemal, District Barwani (M.P.)		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बडवानी के पत्र क्रमांक 823 दिनांक		
	11 / 08 / 16 के द्वारा स्वीकृत ।		
ब्लास्टिंग / रॉक	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
ब्रेकर			
डिया ई.सी. का	डिया बड़वानी के पत्र पृ. क्रमांक 32 दिनांक 31/05/16 के द्वारा		
विवरण (यदि लागू	पत्थर—3,880 घनमीटर /वर्षे हेतु पर्यावरणीय अनापित्ति प्राप्त है।		
हो)			
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—3,880 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया		
	है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—3,880 घनमीटर / वर्ष है।		
500 मीटर की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र		
परिधि में अन्य	क्रमांक 2461 दिनांक 01/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य		
खदानें	कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।		
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र		
की अनापत्ति	कमांक 2461 दिनांक 01/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में		
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250		
	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		

तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण-पत्र
अनापत्ति	कमांक 2461 दिनांक 01/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के
	स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा
	संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ेंबांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण
	कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम	ग्राम पंचायत बाालझिरी जिला बड़वानी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—11 दिनांक .
पंचायत की	7/10/14 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
अनापत्ति	
प्रस्तावि स्थत पर	Tree Felling -
वृक्षों की वर्तमान	Additional tree to be planted -
स्थिति	
प्रस्तावि स्थल की	उत्तर पूर्व दिशा—आबादी लगभग 35 मी.
गूगल इमेज अनुसार	दक्षिण पश्चिम दिशा—प्राकृतिक नाला लगभग 50 मी. एवं आबादी लगभग 235
वर्तमान स्थिति	मी.
प्रस्तावि खदान की	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं52 के सरल क्रमांक-36 पर दर्ज है ।
में स्थिति	

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	25 प्रतिशत फेन्सिंग कार्य हुआ है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण है
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण है
पौधारोपण की स्थिति	अपूर्ण है

प्रस्तुतीकरण के दोरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है, अतः खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा। अतः उनके द्वारा सक्षम विभाग से अनुमोदित कराकर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जावेगा।

परीक्षण के उपरांत समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया :—

- 1. कशर की लोकेशन दर्शातें हुये पुर्नरक्षित सरफेस मेप में प्रस्तुत करें।
- 2. ग्राम सभा की वर्तमान एनओसी प्रस्तुत करें।
- 3. सक्षम विभाग से अनुमोदित कराकर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत करें।
- 9. <u>Case No 10818/2023 Shri Vikas Narayan, Proprietor, M/s Maa Sharda Traders, R/o Rithi, District-Katni (MP)-483990, Prior Environment Clearance for Atarhai Flagstone and M-Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (Flagstone-1400, M-Sand-3000 cum per year) (Khasra No. 3838), Village-Atarhai, Tehsil-Shahnagar, District-Panna (MP)</u>

प्रस्तावित Flagstone and M-Sand Quarry खदान बी—1/2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए का है, जिसमें आज दिनांक 05/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री विकास नारायण, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचीत कुमार, ऑनलाईन मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक,	Shri VIKAS NARAYAN, Proprietor, M/s Maa Sharda Traders, RITHI,			
परियोजना का नाम व पता	DISTRICT KATNI (M.P.) 483990.			
खसरा नं./ क्षेत्रफल	3838(सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3838(सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड) 2.00 hectare.		
(सरकारी / निजी)				
स्थल	Village Atarhai, Tehsil Shahnagar, District	Panna (M.P.)		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला प	गन्ना के पत्र क्रमांक 1522		
	दिनांक 28 / 10 / 22 के द्वारा स्वींकृत ।			
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट / डिया से सिया / क्षमता विस्तार ।			
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लैग स्टोन–एम			
	(फ्लैंग स्टोन—1,400 घनमीटर / वर्ष एवं एम सेंड—3,000 घनमीटर / वर्ष)			
	हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार			
	स्टोन—एम सेंड—4,400 घनमीटर / वर्ष (फ्लैग स्टोन—1,400			
	घनमीटर / वर्ष एवं एम सेंड-3,000 घनमीटर / वर्ष) है।			
500 मीटर की परिधि में	,			
अन्य खदानें	क्रमांक ४६१ दिनांक ११/०४/२३ अनुसार ५०० मीटर की परिधि में ०२			
	अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.80 हे.			

	होता है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है।		
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के एकल प्रमाण-पत्र		
अनापत्ति	क्रमांक ४६१ दिनांक ११/०४/२३ अनुसार १० किलोमीटर की परिधि में		
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं		
	250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।		
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के एकल प्रमाण–पत्र		
	क्रमांक ४६१ दिनांक ११/०४/२३ अनुसार ५०० मीटर की परिधि में		
	मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय		
	महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान		
	घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन,		
	दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/		
	तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला		
	नहीं है ।		
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत अतरहाई जिला पन्ना के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित		
की अनापत्ति	स्थल पर खनन् का प्रस्ताव पारित ।		
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में कई सारे पेड है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत		
	कराया गया कि पश्चिमी ओर का क्षेत्र खनन कार्य के लिये प्रतिबंधित		
	किया गया है।		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के एकल प्रमाण-पत्र		
स्थिति	क्रमांक 461 दिनांक 11/04/23 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला		
	सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित की जावेगी।		
	·		

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता फ्लैग स्टोन—1,400 घनमीटर / वर्ष एवं एम सेंड—3,000 घनमीटर / वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.76 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 04.98 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	राशि (रु. में)
ग्राम अतरहाई के शासकीय स्कूल में 01 कंप्युटर एवं 01 प्रिंटर एवं 01	50,000
टेबल का वितरण भू—प्रवेश के 03 माह के अंदर किया जावेगा ।	

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	सागौन, काला सिरस, नीम खमेर, नीलगिरी सुबबूल एवं करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ। गङ्खे का आकार 70×70×70 से.मी.	1200
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय । ट्री–गार्ड के साथ।	100
3	अतरहाई ग्राम वासियों मे वितरण हेतु	आंवला, आम, मुनगा, कटहल, इमली, अमरूद, पपीता, नींबू, हर्रा, बहेडा, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1100

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्षे में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति / कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

10. Case No 9613/2023 Shri Arvind Kumar, Owner, House No. 3/777, Vastu Khand-3, Gomti Nagar, District-Lucknow (UP)-226010 Prior Environment Clearance for Bela Stone Mine in an area of 7.530 ha. (250000 Cum per annum) (Khasra No. 285, 286, 289, 292), Village-Bela, Tehsil-City Center, District-Gwalior (MP)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 31/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री अरबिंद कुमार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.), द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गयां।

	Form – II Details				
SN	Project	s Details	Remarks		
1.	Name of the project / Prior Environment Clearance for Bela Stone Mine in an area of 7.530 ha. Company / Organisation (250000 Cum per annum) (Khasra No. 285, 286, 289, 292), Village-Bela, Tehsil-City Center, District-Gwalior (M.P.). [410910].				

2.	Name of the Applicant	Shri Arvind Kumar, Owner, House No. 3/777, Vastu Khand-3, Gomti			
_,	and Address	Nagar, District-Lucknow (UP)-226010,			
3.	Proposal No	SIA/MP/MIN/410910/2023.			
4.	Project Cost	1.2 Crores (as Per Form-1)			
5.	EC Status (Fresh/ Exp.)	Fresh			
6.	Proposed ToR	ToR Recommended in 640 th S	EAC Meeting	dated 26/04/2023.	
7.	Khasra No. / Lease Area (Govt. or Private)		7.530 Ha.	Govt. Land.	
8.	Location of Project	(Khasra No. 285, 286, 289, 20) District-Gwalior (M.P.).	(Khasra No. 285, 286, 289, 292), Village-Bela, Tehsil-City Center,		
9.	Production Quantity in m3/year	Stone Quarry – 2,50,000 Cubic M	/leter/Year.		
		Documentary Details			
10.	M.O. Certificate (within 500 Meter details)/ Ekal Praman Patra.	Collector Office Letter (Ekal Praman Patra) No. 11651 date 19/09/22.		Ok. 03 more mine Total Area – 13.361 ha.	
11.	Lease Sanction Order/ Agreement / LoI	Ordet No. 12253-68 dt. 13/09/2022.		Ok	
12.	Tehsildar Certificate	Collector Office Letter (Ekal Praman Patra) No. 11651 date 19/09/22.		Ok	
13.	DFO NOC	Collector Office Letter (Ekal Praman Ok Patra) No. 11651 date 19/09/22.		Ok	
14.	Gram Sabha Tharav Prastav/ NOC (GP).	Nagar Nigam NOC letter No. 2/21/2/10 Ok dated 17/09/2021.		Ok	
15.	Khasra Panchshala (P-II form).	Kh No 285, 286, 289, 292,		Ok	
16.	Production Quantity as per Approved Mining Plan	Stone Quarry – 250000 Cubic Meter/Year.		Ok Page No. 18.	
17.	Env. Consultant: : MR. Krishna Chand Panda Oceao Enviro Management Solutions (India) Pvt. Ltd.(U.P.) Validity - 04-08-24,				
18.	DSR: उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जोड़ी जावेगी। सिमति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत				
	परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।				

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रास्तावक से निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एंव सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहा गया:—

1. खदान नगर सीमा में होने के कारण नगर तथा ग्राम निवेश विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे ।

- 2. लीज क्षेत्र में क्रेशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। अतः क्रशर हेतु समस्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करें।
- 3. लीज क्षेत्र में स्थित वृक्षों की इन्वेन्ट्ररी प्रमाणिक जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।
- 4. लीज क्षेत्र के स्वाईल प्रोफाईल हेत् बनाये गये पिट्स की कॉर्डिनेट्स सहित जानकारी।
- 5. लीज क्षेत्र के भू-जल स्तर की सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणिक जानकारी ।
- 6. लीज क्षेत्र के अन्दर स्वाईल किस स्थान पर डम्प की जावेगी नक्शे में दर्शाकर प्रस्तुत करें।
- 7. टोपोग्राफी के अनुसार सेटलिंग टैंक की पुर्न स्थापित स्थिति नक्शे में दर्शाकर प्रस्तुत करें।
- 8. वेबसाईट का निर्माण कर प्रस्तुत करें ।
- 9. पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत करे ।
- 10. पुनरीक्षित सीईआर

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे सिमित के समक्ष आज दिनांक 05/01/14 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.), द्वारा सिमिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । परीक्षण के दौरान सिमिति ने पाया कि :—

- खदान नगर सीमा में होने के कारण पत्र क्रमांक 02/21 दिनांक 17/09/2021 कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर का पत्र प्रस्तुत किया।
- कृशर हेतु समस्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु रोकथाम के उपाय प्रस्तुत किये गये।
- लीज क्षेत्र के भू—जल स्तर की सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणिक जानकारी के संबंध में बताया कि Ministry of Water Resources Central Ground Water Board North Central Region Government of India (2013) Depth range of ground water 50.87 m to 205 m So, There is no intersection of ground water as during the proposed mining. The depth will be confined to 27 m through Conceptual stage.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—2,50,000 घनमीटर / वर्ष ।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 21.34 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 07.11 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

	राशि (रु. में)
For infrastructure development, the following amount will be deposited in the (Palak Sikshak Sanhga) of Government Primary school, Nikodi	1,50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2643 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	Barrier Zone	Sisam, Neem, Karanj, Jungle Jalebi, Khamer, Chirol, Khamer etc.	1368
2	Approach road (Minimum Height 1 m)	Kadam, Chirol, Kachnar, Neem, peeple and others	507
	Distribution in farmers	Mango, Munaga, custard apple, Jamun, Amrud etc.	6361
	NON-mining Zone (with tree guard)	Sisam, Neem, Karanj, Jungle Jalebi, Khamer, Chirol, Khamer etc	800

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

11. <u>Case No 10817/2023 Shri Durghat Mishra, Owner, R/o Village-Sagra, Tehsil-Huzur, District-Rewa (MP)-486001, Prior Environment Clearance for Pahadiya Stone Crusher Quarry in an area of 0.809 ha. (1112 cum per year) (Khasra No. 1254/4, 1255/5), Village-Pahariya, Tehsil-Raipur-Karchuliyan, District-Rewa (MP) [DEIAA]</u>

प्रकरण आज सेक की 710वीं बैठक दिनांक 05/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

12. <u>Case No 9562/2022 Shri Rahul Tank, Old By Pass Road, Manglam City, H. No. 162, Shri Ram Villa, District-Ratlam (MP)-457001 Prior Environment Clearance for</u>

Sanwaliyarundi Stone Quarry in an area of 1.90 ha. (15000 cum per annum) (Khasra No. 3/2), Village-Sanwaliyarundi, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP)

प्रस्तावित पत्थर खदान बी—1 के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 05/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री राहुल टॉक, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक	Shri RAHUL TANK, Lessee, Old by pass Road Manglam City H.No. 162, Shri		
का नाम व पता	Ram Villa Ratlam, District- Ratlam (M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल	3/2 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड) 1.90 hectare.		
(सरकारी / निजी)			
स्थल	Village - Sanwaliyarundi, Tehsil & District- Ratlam (M.P.).		
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र प1. कमांक		
	11361—63 दिनांक 24/08/22 द्वारा स्वीकृत ।		
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
टॉर	सेक की 623वीं बैठक दिनांक 22/02/23 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक		
	3146 दिनांक 21/03/23 के द्वारा पत्थर-15,000 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर		
	जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट		
	समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—15,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है		
4 4	और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—15,000 घनमीटर / वर्ष है।		
500 मीटर की परिधि में	,		
अन्य खदानें	2119 दिनांक 19/12/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें		
	संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 15.90 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।		
वन मण्डलाधिकारी की	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
अनापत्ति	2119 दिनांक 19/12/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल		
OF ITALK!	पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन		
	क्षेत्र स्थित नहीं है।		
तहसीलदार की			
अनापत्ति	2119 दिनांक 19/12/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट,		
	शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे		
	लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों		
	ुजैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय		
	निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का		

	0. 3		
	रास्ता / नाला नहीं है ।		
ग्राम सभा / ग्राम	ग्राम पंचायत राजपुरा जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–14 दिनांक		
पंचायत की अनापत्ति	17/08/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई		
	आपित्त नहीं है ।		
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों	Tree Felling -		
की वर्तमान स्थिति	Additional tree to be planted -		
प्रस्तावि स्थल की	उत्तर दिशा– नदी लगभग 185मी. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 मी का सेटबेक		
गूगल इमेज अनुसार	प्रस्ताविक किया है।		
वर्तमान स्थिति			
	पश्चिम दिशा— पक्का रोड लगभग 185मी. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 मी का		
	सेटबेक प्रस्ताविक किया है।		
प्रस्तावि खदान की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में	2119 दिनांक 19/12/22 अनुसार आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित		
स्थिति	किया जायेगा ।		
	समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत		
	निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29 / 07 / 22 (प्रकरण में		
	9261 / 2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04 / 08 / 22) में लिए गए निर्णय		
	के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण		
	कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।		
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के		
	सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार		
	परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक / पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई।		

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–15,000 घनमीटर / वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.89 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.81 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 / 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
 ग्राम सवालिया रूंडी के गाँववासियों के कल्याण के लिए रोगीकल्याणसिमित एवं आंगनवाड़ी कल्याण हेतु अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत के खाते में भूप्रवेश होने के 6 माह में अंदर उल्लेखित राशि प्रदान की जावेगी 	80,000/-
• ग्राम सवालिया रूंडी में स्थित में स्थित माध्यमिक शाला में पालक शिक्षा संघ में	40,000/-

|--|

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2280 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	उत्खनिपट्टे के बैरियरजोन व गैर खनन क्षेत्र मेंके अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसे:-नीम , खमेर , कालासिरिस, सिस्सू ,जंगल जलेबी , करंज, सीताफल, चिरोल , सफेदसिरिस, पीपलआदि	550
2	परिवहनमार्ग के किनारे वृक्षारोपण	नीम, कदम्ब, खमेर, सिरसू, पीपल, करंजआदि।	170
3	ग्रामबायड़ीमेस्थितआरोग्य केंद्रपरिसरमें वृक्षारोपण	पुत्रंजीवा, मोलश्रीसिस्सू, कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, आदि	100
4	पास के गांवमेंपौधेकावितरण	आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिडमुनगाआदि ।	1460

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

13. Case No 9623/2023 Shri Bheru Vyas, Lessee, R/o 16, Sakhwal Nagar, District-Ratlam (MP)-457001, Prior Environment Clearance for Sanwliya Rundi Stone (Gitti) Quarry in an area of 2.00 ha. (25000 Cum per annum) (Khasra No. 3/2), Village-Sanwliya Rundi, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP)

प्रस्तावित स्टोन खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 05/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री भैरू व्यास, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर, उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक	Shri BHERU VYAS, Lessee, R/o 16 Sakhwal Nagar,Ratlam, District -Ratalm(M.P)	
का नाम व पता		
खसरा नं./ क्षेत्रफल	3/1/1/1 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.
(सरकारी / निजी)		
स्थल	Village Sanwlyia Rundi, Tehsil Ratlam, District Ratlam , (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 1962 दिनांक	
	23 / 11 / 22 के द्वारा स्वीकृत ।	

ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
टॉर	सेक की 624वीं बैठक दिनांक 26/02/23 को अनुशंसित, सिया के पत्र कमांक	
	3177 दिनांक 21/03/23 के द्वारा पत्थर—25,000 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर	
	जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट	
	समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—25,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया	
	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—25,000 घनमीटर/वर्ष	
	है।	
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र	
में अन्य खदानें	क्रमांक 2118 दिनांक 19/12/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य	
	खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 20.00 हे. होता है, अतः	
	प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र	
की अनापित्ति	क्रमांक 2118 दिनांक 19/12/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250	
	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की	,	
अनापत्ति	क्रमांक २१,18 दिनांक 19/12/22 अनुसार 500 मीट्र की परिधि में मानव	
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के	
	स्मारक, रेल्वे लाईन्/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/	
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा	
	संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप	
	डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा / ग्राम	ग्राम पंचायत राजपुरा जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-5 दिनांक	
पंचायत की अनापत्ति	15 / 04 / 22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई	
	आपित्ति नहीं है ।	
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों	Tree Existed-No	
की वर्तमान स्थिति		
प्रस्तावि स्थल की	पश्चिम दिशा— पक्की रोड लगभग 50 मी. परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि	
गूगल इमेज अनुसार	खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा, अतः 50 मी. का सेटबेक	
वर्तमान स्थिति	प्रस्तावित है।	
प्रस्तावि खदान की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	क्रमांक 2118 दिनांक 19/12/22 अनुसार आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में	
में स्थिति	सम्मिलित किया जायेगा ।	
	समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण	
	समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक	

	29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक / पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

प्रस्तुतीकरण के दोरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है, अतः खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा। अतः उनके द्वारा खनिज विभाग से संशोधित माईनिंग प्लान अनुमोदित करा लिया गया है। समिति ने निर्देश परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिया कि अनुमोदित संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत करने हेतु एडीएस जारी किया जावे।

14. <u>Case No 10822/2023 Shri Ashish Jaiswal, Owner, Tagor Park Colony, District-Khargone (MP)-464671, Prior Environment Clearance for Sasyakhedi Stone Quarry in an area of 1.821 ha. (Gitti-10000, M-sand-8000, Overburden-5306 cum per year) (Khasra No. 54/1), Village-Sasyakheri, Tehsil-Bhikangaon, District-Khargone (MP)</u>

प्रस्तावित **Gitti, M-sand, Overburden** खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए का है, जिसमें आज दिनांक 05/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री आशीष जयसवाल, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक	Shri ASHISH JAISWAL, Owner, Tagor Park Colony, Khargone (M.P.)	
का नाम व पता		
खसरा नं./ क्षेत्रफल	54/1(सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.821 hectare.
(सरकारी / निजी)		
स्थल	Village - Sasyakhedi, Tehsil- Bhikangaon, District- Khargone (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 1282	
	दिनांक 27 / 09 / 23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—10,000 घनमीटर / वर्ष, एम सेंड—8,000	
	घनमीटर / वर्ष एवं ओव्हरवर्डन—5,306 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया	
	है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—10,000 घनमीटर / वर्ष, एम	
	सेंड-8,000 घनमीटर / वर्ष है।	

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र कमांक 1493 दिनांक 31 / 10 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य
ा ज न जना	खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.821 हे. होता है,
	अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र
की अनापत्ति	कमांक 1493 दिनांक 31/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250
	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र
अनापत्ति	कमांक 1493 दिनांक 31/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के
	रमारक, रेल्वे लाईन्/सार्वजनिक भवन/शमशान् घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा
	संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप
	डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम	ग्राम पंचायत पोखराबाद जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—12 दिनांक
पंचायत की अनापत्ति	15 / 03 / 23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों	Tree Existed- No
की वर्तमान स्थिति	
प्रस्तावि स्थल की	उत्तर पूर्व दिशा— कच्चा रोड लगभग 310 मी.
गूगल इमेज अनुसार	दक्षिण पूर्व दिशा— प्राकृतिक नाला लगभग 100 मी.
वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा–
	पश्चिम दिशा—
प्रस्तावि खदान की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 1507
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	दिनांक 02/11/23 अनुसार आगामी डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में शामिल कर
में स्थिति	लिया जावेगा ।
	समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण
	समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक
	29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र कमांक 1306 दिनांक
	04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी
	पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु
	सिया को अनुशंसित किया जाये ।

समिति ने खनन योजना का परीक्षण किया एवं खनन योजपा के पृष्ठ क्रमांक 13 के अनुरूप दर्शायी गई मात्रा के अनुरूप ई.सी की अनुशंसा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Gitti-10000, M-sand-8000, Overburden-5306 cum per year |
- 2. ग्राम पंचायत के अनुमति के बिना खनन कार्य प्रांरभ नहीं किया जा सकेगा।
- 3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.90 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.38 लाख प्रति वर्ष ।
- 4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.90 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि				राशि (रु. में)				
ग्रामसास्याखेडी के				में	3	कम्प्यूटर	1	90,000/-
कम्प्यूटर—टेबल एंव 1 प्रिंटरउपलब्ध करायाजावेगा।								

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2190 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोनमें	नीम , खमेर ,सिस्सू , करंज, चिरोल , पीपलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	620
2	परिवहनमार्गके किनारे वृक्षारोपण	कंरज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, कदम्बआदि	300
	ग्रामके शासकीय माध्यमिक विद्यालय परिसरमें	पुत्रंजीवा , मोलश्रीसिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	50
	ग्रामीणोंमेंपौधोकावितरण	संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुगना, कटहल, आदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1220

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

15. Case No 10825/2023 Shri Dinesh Singh, Partner, M/s Ajay Granite Stone Crusher, JV, R/o Jyoraha Ward No. 13, District-Chhatarpur (MP)-471510, Prior Environment Clearance for Didwara Stone & M-Sand Mine in an area of 4.00 ha. (Stone-52665, M-Sand-50000 cum per year) (Khasra No. 1391), Village-Didwara, Tehsil-Laundi, District-Chhatarpur (MP) [DEIAA] (TOR)

प्रस्तावित पत्थर खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 05/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Dinesh Singh** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्त्	रुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक	Shri DINESH SINGH, Partner, M/s AJAY GRANITE STONE CRESHER PROJECT,		
का नाम व पता	JYORAHA WARD NO. 13 JYORAHA CHHATARPUR (M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल	1391(सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 hectare.	
(सरकारी / निजी)			
स्थल	Village-Didwara, Tehsil- Lavkus Nagar, District- C	Chhatarpur, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छत्तरपुर के पत्र क्रमांक 2531		
	दिनांक 24 / 10 / 17 के द्वारा स्वीकृत ।		
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
डिया ई.सी. का	डिया छतरपुर के पत्र क्रमांक 1417 दिनांक 24/09/16 के द्वारा		
विवरण (यदि लागू	पत्थर—1,02,665 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय	अनापत्ति प्राप्त है ।	
हो)			
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—52,665 घनमी	·	
	घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और	S • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	2023—24 तक वैध है, जिसमें पत्थर—52,6	65 घनमीटर/वर्ष एवं एम	
	सेंड-50,000 घनमीटर / वर्ष है।		
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छ		
में अन्य खदानें	क्रमांक ३६३ दिनांक १३/०२/२३ अनुसार ५००		
	खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल	रकबा 25.192 हे. होता है,	
	अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।		
वन मण्डलाधिकारी	,	9	
की अनापत्ति	क्रमांक 363 दिनांक 13/02/23 अनुसार		
	अभ्यारण्य, महोबा, उ.प्र. से 6.3 कि.मी है, शेष उ		
तहसीलदार की अनापत्ति	, , ,		
	दिनांक 13 / 02 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में	मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान,	

	चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम	ग्राम पंचायत दिदवारा जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 02/10215
पंचायत की अनापत्ति	अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों	Tree Existed -No
की वर्तमान स्थिति	
प्रस्तावि स्थल की	
गूगल इमेज अनुसार	पूर्व दिशा— खदान के बगल में कच्ची रोड स्थित हैं।
वर्तमान स्थिति	
प्रस्तावि खदान की	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—157 के सरल कमांक—2
में स्थिति	पर दर्ज है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापित्त प्राप्त है उपरोक्त विवरण के पिरप्रेक्ष्य में सिमिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की सिमिति अनुशंसा करती है:—

- 1. Copy of Form-I
- 2. Land status/P2:
- 3. Area & Location with Khasra no:
- 4. Current Ekal Praman Patra
- 5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
- 6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
- 7. OB Dump and waste management with facts and figures:
- 8. Top soil management with soil profile:
- 9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
- $10.\ \text{EC}$ transfer details (if any), old EC no.....date.....
- 11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
- 12. Water requirement (KLD):
- 13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
- 14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
- 15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
- 16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)

- GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
- Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
- GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
- Detail of plants distribution with list: name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
- Verifiable proof of CER
- 17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
- 18. Carbon footprint.
- 19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
- 20. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 21. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव / अनापित्त प्रमाण पत्र।
- 22. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
- 23. यदि प्रकरण पैसा ग्राम में स्थित है तो पैसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
- 24. खदान के बगल में कच्ची रोड स्थित है, की उपयोगिता के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- 25. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- 16. Case No 10824/2023 Shri Babulalji Patwala, Lessee, R/o 91, Sukh Niwas, District-Indore (MP)-452013, Prior Environment Clearance for Dhamanda Stone Quarry in an area of 3.74 ha. (19885 cum per year) (Khasra No. 37/1), Village-Dhamanda, Tehsil-Dewas, District-Dewas (MP) [DEIAA] (TOR)

प्रस्तावित पत्थर खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 05/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक <u>Shri Babulalji Patwala, Online</u> एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक	Shri BABULALJI PATWALA, Lessee, R/o- 91, Sukh Niwas Indore, Tehsil-		
का नाम व पता	District- Indore (M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल	37/1 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.74 hectare.	
(सरकारी / निजी)			
स्थल	Village Dhamanda, Tehsil Dewas, District Dewas (M.P.).		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवार	त के पत्र क्रमांक 187 दिनांक	

	13 / 02 / 19 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	परियोजना प्रस्तावक ने खनन् कार्य में ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जावेगा
·	संबंधी शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है । इस संबंध में लेख है कि परियोजना
	प्रस्तावक ईआईए के साथ नॉन ब्लास्टिंग का अनुामेदित खनन् योजना प्रस्तुत
	करें ।
डिया ई.सी. का	डिया देवास के पत्र क्रमांक 45 दिनांक 08/06/16 के द्वारा पत्थर—21,090
विवरण (यदि लागू	घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
हो)	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—19,885 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया
	गया है और अनुमोदित खनन् योजना वर्ष 2023—24 तक वैध है, जिसमें
	पत्थर—19,885 घनमीटर / वर्ष है।
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक
में अन्य खदानें	1614 दिनांक 10 / 08 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें
	संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 11.74 हे. होता है, अतः प्रकरण
	बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी	,
की अनापत्ति	1614 दिनांक 10/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल
	पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में
	वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की	,
अनापत्ति	1614 दिनांक 10/08/23 अनुसार कच्चा रास्ता प्रतिबंधित दूरी 10 मीटर
	की दूरी से दूर है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम	परियोजना प्रस्तावक ने ग्राम् पंचायत ठहराव प्रस्ताव ईआईए के साथ प्रस्तुत
पंचायत की अनापत्ति	करने के लिए कथन दिया है ।
प्रस्तावि खदान की	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—53 के सरल क्रमांक—38
में स्थिति	पर दर्ज है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापित्त प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में सिमिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की सिमित अनुशंसा करती है:—

- 1. Copy of Form-I
- 2. Land status/P2:
- 3. Area & Location with Khasra no:
- 4. Current Ekal Praman Patra

- 5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
- 6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
- 7. OB Dump and waste management with facts and figures:
- 8. Top soil management with soil profile:
- 9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
- 10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
- 11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
- 12. Water requirement (KLD):
- 13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
- 14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
- 15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
- 16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - f. Verifiable proof of CER
- 17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
- 18. Carbon footprint.
- 19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
- 20. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 21. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव / अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- 22. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
- 23. यदि प्रकरण पैसा ग्राम में स्थित है तो पैसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
- 24. ग्राम पंचायत का नवीन ठहराव प्रस्ताव।
- 17. Case No 10823/2023 Shri Gajendra Sikarwar, Lessee, R/o Station Road, Tehsil-Shajapur, District-Shajapur (MP)-465001, Prior Environment Clearance for Kanja Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (22800 cum per year) (Khasra No. 880/1, 881), Village-Kanja, Tehsil-Shajapur, District-Shajapur (MP) [DEIAA] (TOR)

प्रस्तावित पत्थर खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 05/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक एवं

उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक	Shri GAJENDRA SIKARWAR, Lessee, R/o-Station Road Shajapur, Tehsil-		
का नाम व पता	Shajapur, District- Shajapur (M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल	880/1, 881 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड) 4.00 hectare.		
(सरकारी / निजी)			
स्थल	Village Kanja, Tehsil Shajapur, District Shajapur (M.P.).		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र कमांक 499		
	दिनांक 18 / 04 / 16 के द्वारा स्वीकृत ।		
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
डिया ई.सी. का विवरण	डिया शाजापुर के पत्र क्रमांक 156—174 दिनांक 27/02/17 के द्वारा		
(यदि लागू हो)	पत्थर—22,800 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापित्त प्राप्त है।		
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—22,800 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया		
	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—22,800		
	घनमीटर / वर्ष है।		
500 मीटर की परिधि में	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
अन्य खदानें	क्रमांक 1161 दिनांक 10/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04		
	अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 13.00 हे. होता		
	है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।		
वन मण्डलाधिकारी की	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
अनापत्ति	क्रमांक 1161 दिनांक 10/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में		
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250		
	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।		
तहसीलदार की	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
अनापत्ति	क्रमांक 1161 दिनांक 10/10/23 अनुसार 500 मीट्र की परिधि में मानव		
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के		
	स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग /		
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा		
	संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप		
	डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।		
ग्राम सभा / ग्राम	ग्राम पंचायत कांजा जिला शाजापुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–18 दिनांक		
पंचायत की अनापत्ति	08/09/15 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई		
	आपित्ति नहीं है ।		

प्रस्तावि खदान की	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—32 के सरल क्रमांक—31
रिथति	पर दर्ज है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापित्त प्राप्त है उपरोक्त विवरण के पिरप्रेक्ष्य में सिमित इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की सिमित अनुशंसा करती है:—

- 1. Copy of Form-I
- 2. Land status/P2:
- 3. Area & Location with Khasra no:
- 4. Current Ekal Praman Patra
- 5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
- 6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
- 7. OB Dump and waste management with facts and figures:
- 8. Top soil management with soil profile:
- 9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
- 10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
- 11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
- 12. Water requirement (KLD):
- 13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
- 14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
- 15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
- 16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - f. Verifiable proof of CER
- 17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
- 18. Carbon footprint.
- 19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
- 20. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें ह्ये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते ह्ये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

- 21. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव / अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- 22. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
- 23. यदि प्रकरण पैसा ग्राम में स्थित है तो पैसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
- 24. ग्राम पंचायत का नवीन ठहराव प्रस्ताव।

18. <u>Case No 10826/2023 Shri Bharat Shukla, Lessee, R/o 107, Lala Lajpat Rai Colony, Govindpura, District-Bhopal (MP)-462023, Prior Environment Clearance for Ratatal Stone Quarry in an area of 1.74 ha. (20000 cum per year) (Khasra No. 51, 52, 54), Village-Ratatal, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP) [DEIAA] TOR)</u>

प्रस्तावित पत्थर खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 05/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री भारत शुक्ला, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक	Shri BHARAT SHUKLA, Lessee, 107, Lala Lajpatrai Colony Govindpura		
का नाम व पता	District- Bhopal (M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल	51,52,54 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड) 1.74 hectare.		
(सरकारी / निजी)			
स्थल	Village Ratatal, Tehsil Huzur, District Bhopal (M.P.).		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 1769		
	दिनांक 15 / 06 / 21 के द्वारा श्री भरत शुक्ला के नाम लीज अंतरित हुई है		
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
डिया ई.सी. का विवरण	डिया भोपाल के पत्र क्रमांक 36 दिनांक 23 / / 16 के द्वारा श्रीमती		
(यदि लागू हो)	इंगिता बिंदल, भोपाल को पत्थर—7,000 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय		
	अनापत्ति प्राप्त है।		
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—20,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया		
	गया है और अनुमोदित खनन् योजना वर्ष 2023—24 तक वैध है, जिसमें		
	पत्थर—20,000 घनमीटर / वर्ष है।		
500 मीटर की परिधि में	,		
अन्य खदानें	क्रमांक २९८८ दिनांक ०५/०९/२३ अनुसार ५०० मीटर की परिधि में ०७		
	अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 17.429 हे. होता		
	है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।		

वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र		
अनापत्ति	क्रमांक 2988 दिनांक 05/09/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में		
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250		
	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र		
अनापत्ति	क्रमांक 2988 दिनांक 05 / 09 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव		
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के		
	स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/		
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा		
	संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप		
	डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।		
ग्राम सभा / ग्राम	परियोजना प्रस्तावक ने ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव अपलोड नहीं किया		
पंचायत की अनापत्ति	है,अतः ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।		
प्रस्तावि खदान की	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के के सरल क्रमांक-36 पर दर्ज है		
स्थिति			
	समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय		

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापित्त प्राप्त है उपरोक्त विवरण के पिरप्रेक्ष्य में सिमित इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की सिमित अनुशंसा करती है:—

- 1. Copy of Form-I
- 2. Land status/P2:
- 3. Area & Location with Khasra no:
- 4. Current Ekal Praman Patra
- 5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
- 6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
- 7. OB Dump and waste management with facts and figures:
- 8. Top soil management with soil profile:
- 9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
- 10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
- 11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
- 12. Water requirement (KLD):
- 13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
- 14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
- 15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:

- 16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - f. Verifiable proof of CER
- 17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
- 18. Carbon footprint.
- 19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
- 20. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 21. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव / अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- 22. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
- 23. यदि प्रकरण पैसा ग्राम में स्थित है तो पैसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
- 24. ग्राम पंचायत का नवीन टहराव प्रस्ताव।
- 19. <u>Case No 10827/2023 Ms. Astha Shrivastava, Lease Owner, 202, Apollo Pradise, Bawadiya Kalan, Gulmohar, Near Minal Enclave, District-Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Barigarh Stone Mine in an area of 2.65 ha. (150002 cum per year) (Khasra No. 349), Village-Barigarh, Tehsil-Gaurihar, District-Chhatarpur (MP) (TOR)</u>

प्रस्तावित पत्थर खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 05/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक सुश्री आशा श्रीवास्तव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक	ASTHA SHRIVASTAVA, Lease owner, 202, Apollo Pradise, Bawadiya Kalan		
का नाम व पता	gulmohar, Near minal enclave , Bhopal (M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल	349 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.65 hectare.	
(सरकारी / निजी)			
स्थल	Village -Barigarh, Tehsil-Gaurihar, DisttChhatarpur, Madhya Pradesh.		
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 15249 दिनांक		

	11 / 11 / 22 द्वारा स्वीकृत ।		
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—1,50,002 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया		
	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-1,50,002		
	घनमीटर / वर्ष है ।		
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र		
में अन्य खदानें	कमांक 755 दिनांक 12/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य		
	खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 07.80 हे. होता है, अतः		
	प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।		
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र		
की अनापत्ति	कमांक 755 दिनांक 12/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में		
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250		
	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
तहसीलदार की	1		
अनापत्ति	755 दिनांक 12/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट,		
	शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे		
	लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों		
	जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का		
	निकाय / नदा / तालाब / बाध / स्टाप डम / नहर / ग्रामाण कच्या / पक्का रास्ता / नाला नहीं है		
ग्राम सभा / ग्राम	नगर परिषद् बारीगढ़ जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 397 दिनांक 04/09/21		
पंचायत की अनापत्ति	अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से नगर परिषद् को कोई आपत्ति नहीं है		
प्रस्तावि खदान की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 1025 दिनांक		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में	15 / 05 / 23 अनुसार उक्त खदान को अद्यतन डीएसआर में सम्मिलित किया		
रिथति	जावेगा ।		

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

- 1. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 2. सरफेस रनअप मैनेजमेंन्ट प्लान य ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 3. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

- 4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 5. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
- 6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से -

Corrigendum (704th Meeting dated 19/12/2023)

The case No. 9808/2023 was presented in the 704th Meeting of SEAC. The Minutes for the said case may be read as follows:

Case No 9808/2023 M.P. Water resources Department, O/o Engineer-in-Chief, Jal sansadhan Bhawan, Tulsi Nagar, Bhopal (MP)-462003, Prior Environment Clearance for Hot Pipaliya Micro Lift Irrigation Project [under River Valley and Hydroelectric Projects] in an area of 164845 ha instead of 129903 ha. at Villages of Dewas, Bagli & Kannod Tehsil of Dewas District and Barwaha Tehsil of Khargone District (MP)

This is case of Prior Environment Clearance for Hot Pipaliya Micro Lift Irrigation Project [under River Valley and Hydroelectric Projects] initially planned for an area of **129903 ha.** and later the CCA is proposed to be enhanced to **164845 Ha** at Villages of Dewas, Bagli & Kannod Tehsil of Dewas District and Barwaha Tehsil of Khargone District (MP)

The case was presented by the Mr. Ravinder Bhatia, (Online) Env. Consultant from M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon (Haryana) along with PP Shri L.S. Jadoun, Executive Engineer, WRD, Dewas (MP). Initial ToR was recommended in the SEAC 638th Meeting dated 18th April 2023 the same was amended & issued on 26-10-2023.

Now WRD proposes to enhance the Culturable Command Area of the project from 129903 Ha to 164845 Ha.: 479 villages. It was informed that in view of enhance CCA the effected area shall be as follows:

Forest Area	792.08 Ha
Non-forest Area	961.97 Ha
Total effected area	1754.05 Ha

Further, it was submitted by the PP that no change in any of the other attributes of the project is proposed. Accordingly, the case was re-submitted to SEIAA for second amendment in the TOR.

Based on the submissions and the observations committee decided to recommend the case for issue of amended TOR for the project with inclusion of following additional TOR:

- 1. Socio-environmental Impacts shall be evaluated in the entire CCA (164845 Ha.) & effected area (1754.05Ha) and presented in the EMP.
- 2. Details of land-acquisition if any shall be presented with applicable plans.

Remaining terms of reference (TOR) shall remain same as recommended in SEAC 638th Meeting dated 18th April 2023.\

(चंद्र मोहन ठाकुर)

सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)

अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

- 1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
- 4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
- 6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
- 8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
- 9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
- 10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
- 11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
- 15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
- 16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
- 24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
- 25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
- 29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
- 30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

- 34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

- 1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- 5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- 8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- 9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- 10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
- 11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
- 13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
- 14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- 15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

- 16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
- 18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
- 19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
- 27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - 1. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

- vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
- vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
- viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
- 31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river......bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
- 38. विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेथन द्वारा सुनिध्वित किया जावेगा।
- 39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तृत किया जायेगा।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

- 1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
- 2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
- 3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
- 4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

- 6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
- 7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
- 10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
- 12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
- 14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.

- q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
- r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
- 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
- 37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
- 38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
- 39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
- 40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
- 41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

- 42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
- 43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
- 44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

- 1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
- 2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
- 3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, waterbodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
- 4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
- 5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
- 6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
- 8. All documents should be properly indexed, page numbered.
- 9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
- 10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
- 11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
- 12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
- 13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
- 14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
- 15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
- 16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
- 17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
- 18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
- 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
- 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.

- 21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
- 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
- 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
- 25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
- 28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
- 29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna.
- 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
- 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
- 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
- 33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
- 34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
- 35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

- 36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for:
 - Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA, following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

- 37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
- 38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
- 39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
- 40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेत् निर्देश :--

- नोट 1:- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3:— पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मिल्चिंग जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4:— परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5:- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6:- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 — 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 — 05.5 फिट	05—10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई—गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7:- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण।
- अंक्रण पश्चात् 4 से 6 पित्तयाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट - 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खसं, घासं, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिडकाव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षित नहीं पहूँचाई जायेगी।
- रेत निकासी पिरवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक / कृषको से सहमित पश्चात् ही पिरवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले पिरयोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे